

फर्द अहवगम
(नियम 26)
अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

श्रवण राम वगैरा बनाम नत्थूराम वगैरा व स्टेट
अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट
प्रकरण सं. 74/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
12.09.2017	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेस्पोंडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया जावे एव रिकार्ड तलब हो। पत्रावली दिनांक 10.10.2017 को पेश हो।	③ N-2 2484 19.9.17
10.10.17	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोंडेंट को जारी सम्मन प्राप्त। अवस तमिल-अपना रिपोर्ट तलब करें। इंटरमर सम्मन पत्रावली दिनांक 16.11.17 को पेश हो।	
16.11.17	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोंडेंट सं. 01 को जारी रिपोर्ट अनुसार, रेस्पोंडेंट सं. 01 की सूचना ली नहीं है। रेस्पोंडेंट सं. 02 का सम्मन अवस तमिल-अपना पत्रावली दिनांक 8.12.17 को पेश हो।	
08.12.17	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। जज के रेस्पोंडेंट के कारियुक्त खर्चों पर जज की तलबी हो। सम्मन तलबाना पत्रावली दिनांक 24.01.18 को पेश हो।	
24/1/18	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। फिलहाल अधिकारी हैं। पत्रावली दिनांक 31/1/18 को पेश हो।	

9/7/25

बार संप के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी 28/11/25 को पेश हो है। पत्रावली दिनांक 19.8.25 को पेश हो

19.8.25

अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित/सम्मन बाद/अडम नामील आज नहीं/अपीलांट अधिवक्ता को सम्मन बलवाना पेश करने हेतु पब्लिस किया गया/पत्रावली वास्त तलबी जिाने 24.9.25 को पेश हो

24.09.25

अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित/अपीलांट अधिवक्ता को सम्मन बलवाना पेश करने की हिजायत की गरी पत्रावली वास्त तलबी जिाने 11.11.25 को पेश हो

11.11.25

अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित/अपीलांट अधिवक्ता को सम्मन बलवाना पेश करने हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली आयन्डा जिाने 28.01.26 को पेश हो

28.01.26

बार संप के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी 28/11/25 को पेश हो है। पत्रावली दिनांक 10.3.26 को पेश हो

10/3/26

पीठासीन अधिकारी अवकाश भ्रमण पर कार्य में व्यस्त है। पक्ष कारण के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 15.4.26 को पेश हो

15.4.26

अपीलान्ट के अधिवक्ता राज्जन सिंह उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील उपतहसीलदार मिर्जेवाला के आदेश दिनांक 30.08.2017 के विरुद्ध पेश की गयी थी। उप तहसीलदार मिर्जेवाला द्वारा उक्त विवादित इन्तकाल संख्या 481 दिनांक 30.08.2017 जो स्वीकृत किया गया है वह उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 18.08.2017 की पालना में तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 6683 दिनांक 29.08.2017 की पालना में स्वीकृत किया गया है जिसकी अपील का सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर को है ना कि इस न्यायालय को। फलस्वरूप उक्त अपील में सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का ना होने के कारण अपील अपीलार्थी लौटाई जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित उप तहसीलदार को भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फौसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)

अतिरिक्त जिला कमिश्नर (प्रशा.)
प्रशासन, श्रीगंगानगर।